

21/06/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण

59

इकतर्फा। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा बांकासर पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1028/810 रकबा 05.01 बीघा भूमि व मौजा डूडियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1046 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1047 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 1048 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 1289/1049 रकबा 72.09 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा बांकासर पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1028/810 रकबा 05.01 बीघा भूमि व मौजा डूडियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1046 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1047 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 1048 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 1289/1049 रकबा 72.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

*Done*  
अधिकारी बाडमेर